मृत्यु से पूर्व कोई भी व्यक्ति झूठ बोलकर भगवान से मिलने नही जाता इस सर्वमान्य धारणा पर मृत्युकालीन कथन अवधारित है।

मृत्युकालीन कथन धारा 32(1) भारतीय साक्ष्य अधिनियममें सुसंगत है यदिः–

1.वह कथन जो मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में किया हो,उन परिस्थितियों के विषय में किया हो जिनमें उनकी मृत्यु हुई हो,

2.और उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो

3.भले ही कथन करते समय, कथन करने वाले को अपनी मृत्यु की प्रतिशंका (Anticipation) नही हो

कथन– मौखिक,लिखित,हावभाव, किसी भी तरह से हो सकता है।

''मृत्यु का तात्पर्य'' केवल मानववध ही नही है बल्कि आत्महत्या भी शामिल है

मृत्युकालीन कथन कौन लिख सकता है?

1. कोई भी व्यक्ति मृत्युकालीन बयान लिख सकता है। अर्थात मृतक स्वयं (सुसाइड नोट)या कोई भी जनता का /सरकारी व्यक्ति ऐसा बयान लिख सकता है। जैसे– पुलिस, पब्लिक,मजिस्ट्रेट, डाक्टर।

जहॉ तक संभव हो तो मृत्युकालीन कथन को प्रश्नोत्तर करके लिखना चाहिये एवं कथन करने वाले के शब्दों को हूबहू अंकित करना उचित है।जिससे वह विश्वसनीय माना जा सके।

मृत्युकालीन कथन अंकित करते समय निम्न अपेक्षित बातों का ध्यान देना चाहिये–

1. किसी व्यक्ति के पढाने, सिखाने या उकसाने के फलस्वरूप न दिया गया हो।

पुलिस अधिकारी को यह उचित होगा कि बयान लिखते समय इस बात का ध्यान रखें।

2. मृतक कथन करने के लिये मन(Mind) की ठीक दशा में था तथा कथन बिना किसी दुश्मनी के किया हो।

3. कथ्न अंकित करने के बाद कथन करने वाले के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष लगवाना चाहिये एवं उसे पढकर सुनाना चाहिये।

वे मामले जिसमे 'मृत्युकालीन कथन' मृतक ने स्वयं लिखा हो–

1. सुसाइड नोट जो मृत्यु के कारणों पर सीधा व निकट संबंध रखे

2. मृत्यु से पूर्व लिखे गये पत्र जो मृत्यु के कारण पर सीधा प्रकाश डालते है एवं मृत्यु से ठीक पूर्व लिखे गये हो।

दलवीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004(2)जे0आई0सी0पेज376 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने मृतका द्वारा लिखे गये पत्र जिनमें ससुराल के लोगो द्वारा दहेज की मांग के कारण लगातार उत्पीड़न करने की बातों का जिक्र किया गया था को धारा 32 (1) साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत मृत्युकालीन कथन माना है।

———————